बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञान एवम् प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैंः–

1. विज्ञापन संख्या 40/2009, पदनाम – अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग (वर्ग– II, राजपत्रित, अस्थायी), पद की संख्या – 45 (पैंतालीस), अनारक्षित – 23, अनुसूचित जाति – 07, अनुसूचित जनजाति – 01, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 08, पिछड़ा वर्ग – 05 एवं पिछड़ा वर्ग की महिला – 01 पद।
2. विज्ञापन संख्या 41/2009, पदनाम – अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता, गणित (वर्ग– II, राजपत्रित, अस्थायी), पद की संख्या – 20(बीस), अनारक्षित – 09 (चालू रिक्ति), अनुसूचित जाति – 04 (एक बैकलॉग और तीन चालू रिक्ति), अनुसूचित जनजाति – 01 (बैकलॉग), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 04 (एक बैकलॉग और तीन चालू रिक्ति), पिछड़ा वर्ग – 01 (चालू रिक्ति) एवम् पिछड़ा वर्ग की महिला – 01 (चालू रिक्ति)।
3. विज्ञापन संख्या 42/2009, पदनाम – अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता, भौतिकी (वर्ग– II, राजपत्रित, अस्थायी), पद की संख्या – 20 (बीस), अनारक्षित – 09 (चालू रिक्ति), अनुसूचित जाति – 04 (चालू रिक्ति), अनुसूचित जनजाति – 01 (बैकलॉग), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 05 (एक बैकलॉग और चार चालू रिक्ति) एवं पिछड़ा वर्ग – 01 (चालू रिक्ति) पद।
4. विज्ञापन संख्या 43/2009, पदनाम – अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता, अंग्रेजी (वर्ग– II, राजपत्रित, अस्थायी), पद की संख्या – 10 (दस), अनारक्षित – 05, अनुसूचित जाति – 02, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 02 एवं पिछड़ा वर्ग – 01 पद।
5. विज्ञापन संख्या 44/2009, पदनाम – अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता, रसायन शास्त्र (वर्ग– II, राजपत्रित, अस्थायी), पद की संख्या – 21 (इक्कीस), अनारक्षित – 10 (चालू रिक्ति), अनुसूचित जाति – 04 (एक बैकलॉग और तीन चालू रिक्ति), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 05 (एक बैकलॉग और चार चालू रिक्ति) एवं पिछड़ा वर्ग – 02 (चालू रिक्ति) पद।

विज्ञापन संख्या 40/2009 से 44/2009 तक में उल्लिखित पदों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–502, दिनांक 02.11.2002 के आलोक में विकलांगों को आरक्षण देय होगा।

II. <u>वेतनमान एवम् अन्य सुविधाएँ</u>:

विज्ञापन संख्या 40/2009 से 44/2009 में उल्लिखित पदों के लिए 8,000–275–13,500/– रूपये एवम् अन्य सुविधाएँ सरकारी नियमानुसार देय हैं।

III. आवश्यक योग्यताएँ

(i) विज्ञापन संख्या 40/2009 के लिए सम्बन्धित संकाय में इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी का स्नातक की उपाधि।

अथवा

सम्बन्धित संकाय में इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर की उपाधि।
(कोई न्यूनतम अनुभव अपेक्षित नहीं है)

(ii) विज्ञापन संख्या 41/2009 से 44/2009 तक के लिए सम्बन्धित विषय में उत्तम शैक्षणिक वृत्त सहित प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

संबद्ध विषय में देश के किसी विश्वविद्यालय से उत्तम शैक्षणिक वृत्त सहित कम से कम 55% प्राप्तांक या समतुल्य सी॰जी॰पी॰ए॰ के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विदेश के किसी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि प्राप्त। इस योग्यता को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण या समान तरह की परीक्षा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित हो, परीक्षा उत्तीर्ण।

IV. उम्र सीमाः विज्ञापन संख्या – विज्ञापन संख्या 40/2009 से 44/2009 तक के लिए 1.8.2008 को अधिकतम : अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला), एवं अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के पत्र संख्या – 352, दिनांक 22.02.2007 के आलोक में राज्य सरकार के अधीनस्थ अभियंत्रण महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थानों में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थी जो अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य किये हों, को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यावधि के बराबर उच्चतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; सरकारी सेवकों को जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

V. (i) विज्ञापन संख्या 40/2009 से 44/2009 तक के लिए उल्लिखित पदों के लिए राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए तथा बिहार राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii) उपर्युक्त सभी विज्ञापनों के आलोक में यदि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है जो कि देवनागरी लिपि में हिन्दी नहीं जानते हैं, उन्हें नियुक्ति के छः माह के अन्दर कार्य करने पर हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति समाप्त हो जायेगी।

(iii) यदि स्नातक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी समतुल्य उपाधि में वर्ग/श्रेणी नहीं दिया गया हो तो न्यूनतम योग का 60% अंक प्रथम वर्ग/श्रेणी के समतुल्य होगा। यदि ग्रेड प्वाइन्ट पद्धति लागू हो तो सी॰जी॰पी॰ए॰ को समतुल्य अंक में परिवर्तित किया जायेगा एवम् न्यूनतम सी॰जी॰पी॰ए॰ 10 के पैमाने पर न्यूनतम 6.75 मान्य होगा।

अगर ग्रेड प्वाइन्ट सिस्टम लागू हो तो सी॰जी॰पी॰ए॰ को समतुल्य अंक में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जायेगाः–

<u>टेन प्वाइन्ट स्केल</u>

ग्रेड प्वाइन्ट		अंको का प्रतिशत
6.25	–	55
6.75	–	60
7.25	–	65
7.75	–	70
8.25	–	75

VI. चयन की प्रक्रियाः उपर्युक्त विज्ञापनों के आलोक में साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट का भी आयोजन किया जा सकता है।

<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश</u>

VII. <u>प्रविष्टिः</u>

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। **<u>निर्धारित प्रपत्र से अलग, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।</u> इस विज्ञापन से संलग्न आवेदन पत्र की छाया प्रति कर उसे व्यवहार में आप ले सकते हैं।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

स्	न	ि	ग	धा		

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनु॰ जाति के लिये 02, अनु॰ जनजाति के लिये 03 इत्यादि भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** $\frac{\text{'प्राप्तांक'}}{\text{'पूर्णांक'}}$ **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 13 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

VIII. <u>फोटोग्राफः</u>

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

IX. <u>लिफाफाः</u>

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं करें।**

(iii) **16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

X. <u>आरक्षणः</u>

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) आरक्षित उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास जिला के जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास जिला के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

XI. <u>शुल्कः</u>

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25/– (पच्चीस) रूपये तथा अन्य के लिए 100/– एक सौ रूपये का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से जी॰पी॰ओ॰, पटना/पंजाब एण्ड सिंध बैंक, फ्रेजर रोड, पटना में भुगतेय हो, संलग्न करें।

XII. <u>अन्यः</u>

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

XIII. <u>अंतिम तिथिः</u>

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि सोमवार, दिनांक 04.05.2009 की संध्या 5.00 बजे तक उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

उप सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना